कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 6255 बिलासपुर, दिनांक 08/8/2025

प्रति,

वनमंडलाधिकारी

कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा (छ.ग.)

विषय :– एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बगदेवा भूमिगत खदान हेतु 81.364 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बाबत्।
पंजीयन नं. **FP/CG/MIN/60227/2020**

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./तक.अधि./2025/2770, आपका पत्र क्र., दि. 17.06.2025 एवं कार्या. पत्र क्र./तक. /4774 दिनांक 17.07.2025

विषयांतर्गत लेख है कि एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र अंतर्गत बगदेवा भूमिगत खदान हेतु 81.364 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त स्थल का निरीक्षण दिनांक 01 एवं 02 अगस्त 2025 को मेरे द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई है –

1. अमरपुर बकदेवा भूमिगत कोयला खदान हेतु पूर्व में स्वीकृत परियोजना एफ.सी.ए. 1980 के तहत पूर्व में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में 297.608 हे. नक्शे में त्रुटी होने से जो खसरे शामिल है 426/1, 426/2, 559, 555 राजस्व मिशल रिकार्ड में शासकीय मद में वनभूमि दर्शित हो रही है, भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में शासकीय मद में ली गई है लेकिन वनभूमि के रूप में मानते हुए उक्त क्षेत्र को एफ.सी.ए. 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पूर्ण किया जाकर स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य की अनुमति दी जावे। वर्तमान में उक्त भूमि में यदि आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा हो या खदान संचालित हो तो तत्काल कार्य बंद करावे एवं नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रस्ताव में वनभूमि जिसका अब तक प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है उसे इस प्रस्ताव में सम्मिलित किया जावे।
2. आवेदक संस्थान को प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र 502.60 हे. के विरूद्ध कुल प्रस्ताव 895.357 हे. पूर्व स्वीकृत क्षेत्र का औचित्य बतावे शेष क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अबतक की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें।

3. चेक लिस्ट क्र. 28 के अनुसार ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण–पत्र पंजीयन दिनांक से 07 वर्ष पूर्व का है एवं ग्राम जवाली के अनापत्ति प्रमाण–पत्र में काट–छाट भी की गई है। इस संबंध में नवीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. चेक लिस्ट क्र. 4 के अनुसार गैर वनक्षेत्र का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें।
5. चेक लिस्ट क्र. 29 के अनुसार जिले के कुल वनभूमि रकबा हे. में – आपके द्वारा कटघोरा वनमण्डल की कुल भूमि का रकबा 205090.100 हे. दिया गया है जो कि **कोरबा जिले** का कुल रकबा संलग्न करें।
6. चेक लिस्ट क्र. 30 के अनुसार वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा हे. में **कोरबा जिला** के अंतर्गत प्रभावित हुई वनभूमि का रकबा संलग्न करें।
7. चेक लिस्ट क्र. 31 वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तीत वनभूमि रकबा हे. में **कोरबा जिला** के अंतर्गत प्रभावित हुई स्वीकृत प्रकरण इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तीत वनभूमि रकबा हे. संलग्न करें।
8. चेकलिस्ट क्र. 34 वन अधिकार मान्यता पत्र नवीन प्रपत्र Annexure-I परिवेश पोर्टल में ऑनलाईन अपरलोड कर अभिलेख प्रस्तुत करें एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। जिला स्तरीय, खण्ड स्तरीय वन अधिकार मान्यता पत्र प्रस्तुत करें।
9. चेकलिस्ट क्र. 36 के अनुसार एन.पी.व्ही. पत्रक तैयार कर प्रस्तुत करें।
10. उक्त स्थल का स्वयं निरीक्षण करें एवं पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव 297.608 हे. में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आदेश के अनुरूप मौके पर फेंसिंग एवं गैप प्लांटेशन आज दिनांक तक होना नही पाया गया है। इस शर्त के साथ–साथ अन्य समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुरवृत्त,बिलासपुर
बिलासपुर, दिनांक 08/08/2025

पृ.क्र./तक./ 6256

प्रतिलिपि –

1. प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध), अरण्य भवन, अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुरवृत्त,बिलासपुर

D:\MEMO-2025new.docx